



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या-व.सं./122/2018-428

प्रेषक,

राकेश कुमार भा0व0से0
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक- 19/05/2020

विषय - सारण जिलान्तर्गत NH-101 छपरा-बनियापुर-मलमलिया-मोहम्मदपुर (01.500-14.500 KM & 30.000-34.075 KM) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4525 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Road/32425/2018/3117 दिनांक 03.05.2019

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा के पत्रांक 409 दिनांक 15.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है-

| क्रम सं | MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दि 03.05.2019 में निहित कंडिका | अनुपालन |
|---------|--|--|
| 1 | Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged. | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित पथांश में अपयोजित होने वाली वन भूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। |
| 2 | Compensatory Afforestation: Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 11 ha. degraded forest land (Plot No. 3 (p), 214, Thana No. 288 Site-Rediya PE, Forest Division- Rohtas) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. | वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास द्वारा चिन्हित स्थल पर क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल प्राक्कलित राशि रु० 26,37,314/- (रुपये छब्बीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ चौदह) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है। |

| | | |
|-----|---|--|
| 3 | <p>The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.</p> | <p>वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास द्वारा चिन्हित स्थल पर क्षतिपूर्ति वनीकरण मद की कुल प्राक्कलित राशि रु० 26,37,314/- (रुपये छब्बीस लाख सैतीस हजार तीन सौ चौदह) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।</p> |
| 4 a | <p>NPV The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) for the 5.4525 ha forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt-II) dated 18.09.2003, as well as letter no. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.</p> | <p>NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 5.4525 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 43,78,358/- (रुपये तैंतालीस लाख अठत्तर हजार तीन सौ अनठावन) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।</p> |
| b | <p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p> | <p>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।</p> |
| 5 a | <p>User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.</p> | <p>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के काम में इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।</p> |
| b | <p>In view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, but whose translocation (number, girth and species to be decided by SFD) is practicable using modern technology or otherwise, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.</p> | <p>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्तों के अनुपालन संबंधी बचनबद्धता इस पत्र के साथ संलग्न है।</p> |

| | | |
|------|---|--|
| 6 | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA funds only through e-portal (https://praviesh.nic.in) | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद कि कुल राशि रु0 70,15,672/- (रुपये सत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ बहतर) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No.P19061361309564 दिनांक 12.06.2019 एवं राशियाँ website पर प्रदर्शित हैं। |
| 7 | The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. | जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। |
| 8 | User agency shall raise strip plantation on both sides of the road as per the IRC norms. | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। |
| 9 | The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना परियोजना lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा। |
| 10 | Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में नियोजित मजदूर एवं Working staff को LPG अथवा अन्य ईंधन सुविधा दी जायेगी जिससे नियोजित कर्मी निकट के वन को क्षति नहीं पहुँचायें। |
| 11 | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with period of the project life. (existence of the road) | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है। |
| 12 a | The forest land under diversion shall not be used for any purposed other than that specified in the project proposal. | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा। |
| b | The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances, be transferred to any other agency, department or person without prior approval of Govt. of India. | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा। |
| 13 | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29.01.2018 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है। |

| | | |
|----|--|---|
| 14 | Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency. | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियम का पालन किया जायेगा। |
| 15 | The compliance report shall be uploaded on e-portal | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-I में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन Ministry website पर uploaded कर दिया गया है। |

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को विषयगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4525 हे० सुरक्षित वन घोषित, भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।
अनु०-यथोक्त

विश्वासभाज,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना

ज्ञापक- 428

दिनांक- 19/05/2020


प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------------------------|-------------|------|
| 1 | Name of Regional Office | Eastern Regional Ranchi | | | | |
| 2 | State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates | Bihar/Saran/ Forest Division-Chapra | | | | |
| 3 | Name of User Agency nature of proposal | The Executive Engineer NH Division Chapra | | | | |
| 4 | Extent of forest area involved | 5.4525 ha | | | | |
| 5 | Whether Original, or extension | Original | | | | |
| 6 | If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify | NA | | | | |
| 7 | Date of 1st stage Clearance | 03.05.2019 | | | | |
| 8 | Extent of CAMPA charges head wise viz. | | | | | |
| | a. Compensatory Afforestation | 26,37,314/- | | | | |
| | b. Additional CA | | | | | |
| | c. Penal CA | | | | | |
| | d. Catchment Area Treatment | | | | | |
| | e. Wildlife Management Plan | | | | | |
| | f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas | | | | | |
| | g. Net present Value | 43,78,358/- | | | | |
| | h. Any other charges/Levies (Pl Specify) | | | | | |
| 9 | Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9 | S.No | MOD E Remtt. | UTR No. and Dated | Amount | Head |
| | | 1 | RTGS | P19061361309564 dt. 12.06.2019 | 43,78,358/- | NPV |
| | | | | | 26,37,314/- | CA |
| | | TOTAL | | | 70,15,672/- | |
| 10 | Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance | All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 12.06.2019 | | | | |
| 11 | Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition | All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 12.06.2019 | | | | |
| 12 | Any other remarks | | | | | |


 Signature of APCCF (CAMPA),
 -Cum-Nodal Officer (FC)